न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2024 / 146 दर्ज तिथिः—06.05.2024

1. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र
2. बबिता पुत्री रामचन्द्र
3. गोगाराम पुत्र रामचन्द्र
4. जोगाराम पुत्र रामचन्द्र
5. मनीषा पुत्री रामचन्द्र
   वादी संख्या 01 से 05 नाबालिक जरिए कुदरती वली माता झमकुदेवी पत्नी रामचन्द्र।
6. झमकुदेवी पत्नी रामचन्द्र
   जाति जाट निवासी नेहरों का बेरा तहसील नौखड़ा।

.....वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र जीयाराम
2. ईमीयों देवी पत्नी दूदाराम
   जाति जाट निवासी नेहरों का बेरा तहसील नौखड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नौखड़ा।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीः— श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—07.07.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि वादी व प्रतिवादी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

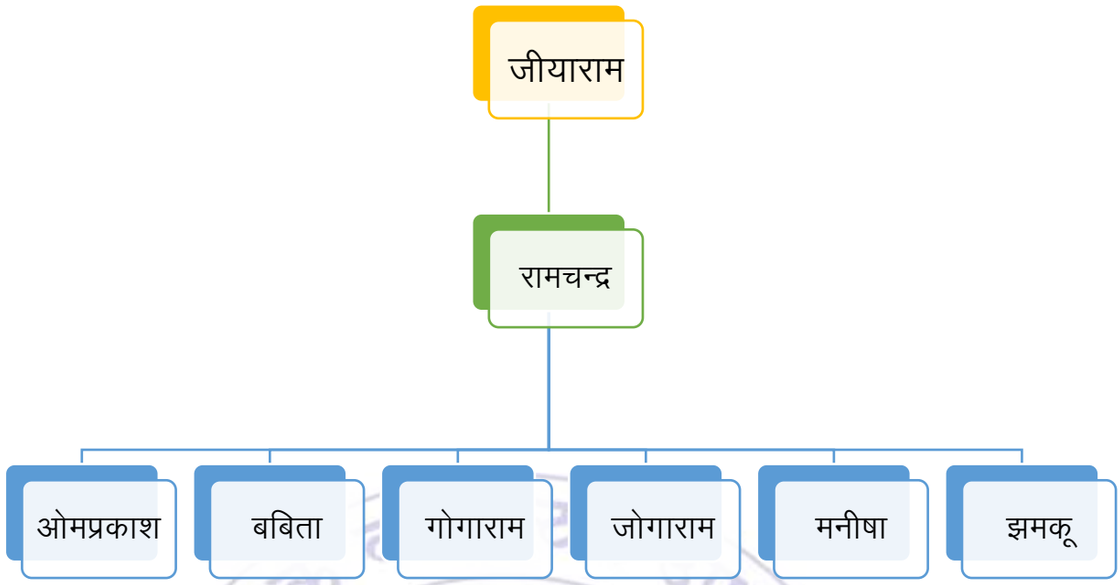

2. प्रकरण में वादी का अभिकथन है कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 718/266/5.6575 है0 (नवीन खसरा 721/718/3.8766 है0, 721/718/1.7809 है0) मौजा नेहरों का बेरा तहसील नौखड़ा में अवस्थित है। मुतनाजा आराजी का वक्त बंदोबस्त पर्चा लगान पक्षकारान के पूर्वज जीयाराम पुत्र दुर्गाराम के नाम दर्ज हुआ। तत्पश्चात जीयाराम पुत्र दुर्गाराम के फौत होने पर फौतगी नामांतरकरण संख्या 200 प्रतिवादी संख्या 01 के नाम अकेले ही दर्ज किया गया। जबकि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिस है तथा अपने दादा जीयाराम पुत्र दुर्गाराम की विरासत में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के तहत प्रतिवादी संख्या 01 के साथ पैतृक आराजी में अधिकार रखने के कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। वर्तमान में मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के अकेले के नाम दर्ज है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त आराजी में अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान प्रतिवादी संख्या 02 को कर दिया। उक्त बेचान आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है। अतः उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए बेचान को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

3. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी नहीं है। वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा रामचन्द्र पुत्र जीयाराम ने दिनांक 12.06.2023 को श्रीमती जसोदा देवी पत्नी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

ईशराराम से जरिए पंजीकृत बयनामा खरीद किए जाने के कारण रामचन्द्र पुत्र जीयाराम की स्वअंर्जित आराजी है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 को अपने परिवार के आवश्यक खर्चे के लिए उक्त आराजी को बेचने का कानूनी अधिकार है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के खर्चे के लिए उक्त आराजी का प्रतिवादी संख्या 02 को बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। इस कारण वादीगण को उक्त बेचान को निरस्त कराने का कोई अधिकार नहीं है। इस आधार पर वादी का दावा काबिल–ए–खारिज है।

4. तत्पश्चात् प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम किये गयेः–

1. आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिश होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादी

2. आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिश होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार बेचान के पंजीकृत दस्तावेज को वादीगण के हक हिस्से तक आरंभ से ही शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है।

.....वादी

3. आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिश होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार पर विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक वादपत्र वर्णित अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादी

4. आया दावा वादीगण का खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष पोषणीय नहीं होने तथा आराजी पर प्रतिवादी का सालिम कब्जा होने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण नहीं बनने के कारण काबिल–ए–खारिज है।

.....प्रतिवादी

5. आया मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित संपत्ति है।

.....प्रतिवादी

6. आया मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित संपत्ति होने के कारण अंतरण का वैध व पूर्ण हक निहित होने के कारण प्रतिवादी संख्या 02 को किये गये बेचान का वैध होने के आधार पर दावा वादी काबिल–ए–खारिज है।

.....प्रतिवादी

7. अन्य दादरसी

.....उभय–पक्षकारान

5. तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए–

संवत / विवरण	प्रदर्श
नक्शा ट्रेश मौजा नेहरो का बेरा खसरा संख्या 721 / 718	प्रदर्श पी–01
नक्शा ट्रेश मौजा नेहरो का बेरा खाता संख्या 720 / 718	प्रदर्श पी–02

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

नामांतरकरण प्रपत्र संवत् 2073–2076	प्रदर्श पी–03
आधार कार्ड ओमप्रकाश	प्रदर्श पी–04
आधार कार्ड बबिता	प्रदर्श पी–05
आधार कार्ड गोगाराम	प्रदर्श पी–06
जन्म प्रमाण पत्र जोगाराम	प्रदर्श पी–07
विद्यालय अध्ययनरत प्रमाण पत्र मनिषा	प्रदर्श पी–08

6. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	
झमकू देवी पत्नी रामचन्द्र	जाट	नेहरों का बेरा	पीडब्ल्यु–01
अमराराम पुत्र ईशराराम	जाट	हुडो का तला	पीडब्ल्यु–02
अर्जुनराम पुत्र धर्माराम	जाट	नेहरों का बेरा	पीडब्ल्यु–03

7. प्रकरण में वादीगण द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

- उक्त कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 718 / 266 / 5.6575 है0 (नवीन खसरा 721 / 718 / 3.8766 है0, 721 / 718 / 1.7809 है0) मौजा नेहरों का बेरा तहसील नौखड़ा में अवस्थित है। मुतनाजा आराजी का वक्त बंदोबस्त पर्चा लगान पक्षकारान के पूर्वज जीयाराम पुत्र दुर्गाराम के नाम दर्ज हुआ। तत्पश्चात जीयाराम पुत्र दुर्गाराम के फौत होने पर फौतगी नामांतरकरण संख्या 200 प्रतिवादी संख्या 01 के नाम अकेले ही दर्ज किया गया। जबकि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिस है तथा अपने दादा जीयाराम पुत्र दुर्गाराम की विरासत में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के तहत प्रतिवादी संख्या 01 के साथ पैतृक आराजी में अधिकार रखने के कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। वर्तमान में मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के अकेले के नाम दर्ज है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त आराजी में अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान प्रतिवादी संख्या 02 को कर दिया। उक्त बेचान आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है। अतः उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए बेचान को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।
- इसके समर्थन में वादी द्वारा पैरा–05 मे अंकित दस्तावेज प्रदर्श करवाएं हैं।

8. प्रकरण में झमकू देवी पत्नी रामचन्द्र पी0डब्ल्यू–01 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि यह कहना सही है कि जीयाराम मेरे ससुर है जिनके दो औलाद है जो एक पुत्र तथा एक पुत्री है। यह कहना सही है कि मेरे ननद जिसका नाम जसोदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

है। यह कहना सही है कि वादग्रस्त जमीन में आधा हिस्सा जसोदा का था। रामचन्द्र ने जसोदा से आधा हिस्सा ले लिया था। यह कहना सही है कि इमियो को रामचन्द्र ने जमीन बेचान की थी। रामचन्द्र को इमिया ने जमीन के पैसे दिये हो तो मुझे मालूम नही है। यह कहना सही है कि मै और मेरे पति साथ रहते है अजखुदकहा कि वे घर पर नहीं रहते है। यह कहना सही है कि मै पढी लिखी नही हुं। यह कहना सही है कि शपथ पत्र पर पेन से लिखी लिखावट वकील साहब की है । ये कहना सही है कि शपथ पत्र वकील साहब ने लिखा है मेने उपर अंगुठा लगाया है। यह कहना सही है कि मेंरे बच्चे विद्यालय जाते है उनका खर्चा रामचन्द्र देते है। यह कहना सही है कि हमारे घर मे लेनदेन रामचन्द्र करते है।

9. प्रकरण में अमराराम पुत्र ईशराराम पी0डब्ल्यू–02 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मै पढा लिखा हु आठवी पास हुं। रामचन्द्र मेरे सेढे का पाड़ौसी है। मेरे व रामचन्द्र के खेत के मध्य एक दुसरा खेत और है। यह कहना सही है कि मेरे खेत के पुराने खसरे संख्या याद है नये याद नही है। ये कहना सही है कि रामचन्द्र व जसोदा दो भाई बहिन है। ये कहना सही है कि जसोदा ने अपना हिस्सा रामचन्द्र को दे दिया। यह कहना गलत है कि रामचन्द्र के परिवार स्वयं लेनदेन करता हो अजखुद कहा कि उनकी पत्नी अलग लेनदेन करते है। ये कहना गलत है कि रामचन्द्र ने वादग्रस्त जमीन का बेचान अपनी पत्नी से पुछकर की हो। ये कहना सही है कि मेरा खेत दो खेत दूर होने के कारण प्रत्येक बात हम सुनते हो मैने जमीन बेचने वाली बात रामचन्द्र की पत्नी से सुने होने के कारण कह रहा हू। ये कहना सही है कि शपथ पत्र वकील साहब ने लिखा है अजखुद कहा कि मेरे कहने से वकील साहब ने लिखा है मैने हस्ताक्षकर किये है। ये कहना गलत है कि मेरे व इमिया के पति के मध्य लड़ाई होने के कारण झुठे बयान दे रहा हुं।

10. प्रकरण में अर्जुनराम पुत्र धर्माराम पी0डब्ल्यू–03 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि यह कहना सही है कि शपथ पत्र पर ए से बी भाग वकील साहब की कलमी है। यह कहना सही है कि शपथ पत्र मेरे कहने से वकील साहब ने लिखा है। यह कहना सही है कि शपथ पत्र लिखा था तब मैने मेरा नाम नहीं बताया था मैने हस्ताक्षर किए थे। मुझे मेरे व ओमप्रकाश के खेत का खसरा नं. याद नहीं है। शपथ पत्र में जो खसरा नं. लिखे है वो वकील साहब ने अपने अनुसार लिखे हैं। यह कहना सही है कि रामचन्द्र ने इमिया को जमीन बेची थी अज खुद कहा कि बच्चे व उसकी मां रो रही थी तब हमको पता चला कि जमीन बेची है। यह कहना सही है कि परिवार में कमाने वाला रामचन्द्र है अज खुद कहा कि वह कमाता नहीं है नशेड़ी है। यह कहना सही है कि रामचन्द्र व उसके पुत्र ओमप्रकाश के रहने का घर एक ही है अज खुद कहा कि रामचन्द्र कभी आता है कभी नही आता है। यह कहना सही है कि रामचन्द्र की दूसरी शादी नहीं हुई है। यह कहना सही है कि रामचन्द्र चरित्र का सही है अज खुद कहा कि वह नशेड़ी है। यह कहना गलत है कि मै आमप्रकाश व उनकी माता के कहने से जमीन वापस लेने के लिए झूठे बयान दे रहा हूं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

11. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए।

संवत / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 48	प्रदर्श डी–01
नक्शा ट्रेश मौजा नेहरो का बेरा खसरा संख्या 720 / 718	प्रदर्श डी–02
जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 11	प्रदर्श पी–03
नक्शा ट्रेश मौजा नेहरो का बेरा खसरा संख्या 721 / 718	प्रदर्श डी–04
नक्शा ट्रेश मौजा नेहरो का बेरा खसरा संख्या 266 / 3	प्रदर्श डी–05
नक्शा ट्रेश मौजा नेहरो का बेरा खसरा संख्या 266 / 4	प्रदर्श डी–06
हकतर्कनामा दिनांक 12.06.2023	प्रदर्श डी–07
बेचाननामा दिनांक 04.09.2023	प्रदर्श डी–08

12. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
ईमीयों देवी पत्नी दूदाराम	जाट	नेहरों का बेरा	डी0डब्ल्यू–1
मुकेश पुत्र दूदाराम	जाट	गुरूओं का तला	डी0डब्ल्यू–2

13. प्रकरण में ईमीयों देवी पत्नी दूदाराम डी0डब्ल्यू–01, मुकेश पुत्र दूदाराम डी0डब्ल्यू–02 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

- कि वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी नहीं है। वादग्रस्त आराजी में 1 / 2 हिस्सा रामचन्द्र पुत्र जीयाराम ने दिनांक 12.06.2023 को श्रीमती जसोदा देवी पत्नी ईशराराम से जरिए पंजीकृत बयनामा खरीद किए जाने के कारण रामचन्द्र पुत्र जीयाराम की स्वअंर्जित आराजी है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 को अपने परिवार के आवश्यक खर्चे के लिए उक्त आराजी को बेचने का कानूनी अधिकार है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के खर्चे के लिए उक्त आराजी का प्रतिवादी संख्या 02 को बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। इस कारण वादीगण को उक्त बेचान को निरस्त कराने का कोई अधिकार नहीं है। इस आधार पर वादी का दावा काबिल–ए–खारिज है।

14. प्रकरण में ईमीयों देवी पत्नी दूदाराम डी0डब्ल्यू–01 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मैंने कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र किस तारीख को लिखा था मुझे याद नहीं है। शपथ पत्र छः महिने पहले लिखाया था। मैंने मेरे माता–पिता की जमीन में हक नहीं लिया। यहां पर रीति रिवाज के अनुसार लड़किया हक नहीं लेती है इस कारण मैंने भी अपने पिता की जमीन में हक नहीं लिया। रामचन्द्र की बहिन ने भी अपने पिता की जमीन में हक लिया है तो मुझे पता नहीं। दावावाली जमीन के खसरा संख्या मुझे याद नहीं है। दावा वाला खेत 70 बीघा का है। जिसमें से 11 बीघा जमीन क्रय की है। जमीन की रजिस्ट्री कराने की तारीख मुझे

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

याद नहीं है। ओमप्रकाश, बबीता, गोगाराम, जोगाराम, मनीषा रामचन्द्र की पुत्र—पुत्रीयां है। झमकू है जो रामचन्द्र की पत्नी है। रामचन्द्र, जीयाराम का है। जीयाराम के पिता का नाम दुर्गाराम है। यह कहना सही है कि जीयाराम के फौत होने पर जमीन रामचन्द्र के नाम हुई। भोमाराम मेरा लड़का है जो ग्राम सेवक लगा हुआ है। जो नोखड़ा में लगा हुआ है। जो आज मेरे साथ आया है। मैं और भोमाराम 12 बजे तक कोर्ट आ गए थे। यह कहना सही है कि रजिस्ट्री नौखड़ा में ठाकराराम वकील के पास करवाई थी। ठाकराराम मेरे केस में वकील नहीं है। जब मैने मेरे खेत की नेखमबंदी का दावा पेश किया उसमें मैंने ठाकराराम को वकील किया मुझे पता नहीं ठाकराराम हमारे साथ में था। जिस समय रामचन्द्र ने जमीन बेची थी उस समय में मुख्या होने का लिखाया हो मुझे पता नहीं रामचन्द्र स्वयं ने राजीनामा से मुझे रजिस्ट्री करवाई थी। रामचन्द्र की पत्नी खेत में खेती का काम करती है उससे धान होता है जो घर में खाने के काम लेते है। यह कहना सही है कि गवाह मुकेश पुत्र दूदाराम मेरे पुत्र भोमाराम के साथ सहायक ग्राम सेवक का काम करता है।

15. प्रकरण में मुकेश पुत्र दूदाराम डी0डब्ल्यू—02 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि यह कहना गलत है कि मेरा और ईमियों का गांव एक ही हो। अजखुद कहा कि ग्राम पंचायत एक ही है। मैं पंचायत में सुरक्षा गार्ड हुं। मैं नौखड़ा ग्राम पंचायत में सुरक्षा गार्ड हुं। भोमाराम ग्राम सेवक है। मैं आज कोर्ट 12 बजे आया था। मैं पंचायत समिति से बयान देने की अनुमति लेकर नहीं आया हुं क्योकि आवश्यकता नहीं है। जिस जमीन का दावा किया है उस जमीन का खसरा संख्या 718/266 है। ईमियों देवी की रजिस्ट्री में भी मैंने गवाही दी है। मैने मेरे बपौती जमीन में मेरी बहिनों ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि बहिने हिंस्सा लेती नहीं। यह कहना सही है कि रामचन्द्र ने रजिस्ट्री में मुख्या होने का जिक्र नहीं किया हो जबकि वह घर का मुखिया है। जिस समय रामचन्द्र ने जमीन बेची थी जिस समय रामचन्द्र के घर में कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं था। यह कहना सही है कि जिस समय जमीन बेची थी उस समय उनके परिवार में कोई बीमार भी नहीं था। वादीगण रामचन्द्र के पुत्र व पुत्रिया है। रामचन्द्र जीया का है और जीया दुर्गा का है। रामचन्द्र की पत्नी झमकु है जो खेती—बाड़ी का काम करती है। यह बात गलत है कि भोमाराम ग्राम सेवक होने के कारण मै उनके प्रभाव में झूठे बयान देने आया हु। मैं आज बयान देने घर से आया हु।

16. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए बेचान को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 को अपने परिवार के आवश्यक खर्चे के लिए उक्त आराजी को बेचने का कानूनी अधिकार है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

के खर्चे के लिए उक्त आराजी का प्रतिवादी संख्या 02 को बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। इस कारण वादीगण को उक्त बेचान को निरस्त कराने का कोई अधिकार नहीं है। इस आधार पर वादी का दावा काबिल—ए—खारिज है।

17. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01, 05 का एक साथ विश्लेषण किया जाना अब प्रथम तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैंः—

> 1. *आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत विधिक वारिश होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।*
>
> .....*वादीगण*
>
> 5. आया मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित संपत्ति है।
>
> .....प्रतिवादी

18. प्रकरण में तनकी संख्या 01, 05 वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में प्रथम तनकी मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 718/266/5.6575 है0 (नवीन खसरा 721/718/3.8766 है0, 721/718/1.7809 है0) मौजा नेहरों का बेरा तहसील नोखड़ा में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की भूमि में से वादीगण संयुक्त रूप से 1/7—1/7 हिस्सा घोषित करवाने से संबंधित है।

19. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से संबधित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का एक संयुक्त पूर्वज जीयाराम है। जीयाराम के एक ही पुत्र रामचन्द्र पुत्र जीयाराम है। रामचन्द्र के तीन पुत्र व दो पुत्रियां व पत्नी झमकु देवी पत्नी रामचन्द्र वारिस है। इस प्रकार वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के विधिक वारिस है।

20. प्रकरण में वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के अंतर्गत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत अधिकार सृजित होने के आधार पर खातेदार के रूप में दर्ज होने का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—6 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> **6. Devolution of interest in coparcenary property.—**
> *(1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,—*
>
> *(a) by birth become a coparcener in her own right the same manner as the son;*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

(b) have the same rights in the coparcenery property as she would have had if she had been a son;

(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenery property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener:

Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.

21. उक्त उद्धरण अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष की संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—6 के अनुसार पुत्र व पुत्री को समान अधिकार व दायित्व दिये जाने के प्रावधान है। प्रकरण में तथ्य निर्विवादित है कि वादी व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 प्रतिवादी संख्या 03 की संतान हैं।

22. प्रकरण में मुतनाजा आराजी के पैतृक आराजी होने के बारे में विश्लेषण अपेक्षित है। इस संबंध सर्वप्रथम हिन्दू विधि के तहत पैतृक संपति की संकल्पना को समझना आवश्यक है। इस संबंध में हिन्दू विधि के तहत पैतृक संपति के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *किसी हिन्दू को अपने तृतीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता के पिता (परदादा) की संपति, अपने पिता व पिता के पिता (दादा) की मृत्यु पिता के पिता के पिता (परदादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त प्रथम परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
2. *किसी हिन्दू को अपने द्वितीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता (दादा) की संपति, अपने पिता की मृत्यु पिता के पिता (दादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त द्वितीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
3. *किसी हिन्दू को अपने प्रथम पीढी के पूर्वज पुरूष पिता की संपति विरासत में प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त तृतीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है। इस स्थिति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के लागू होने*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

के पश्चात धारा–8 के तहत विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति नहीं मानकर प्राप्तकर्ता हिन्दू की पृथक संपति माना जाता है। अगर इस स्थिति में विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने से पूर्व खुलती हैं उस स्थिति में ही विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति माना जाता है।

4. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति को उस हिन्दू द्वारा अपने पुत्र, अपने पुत्र के पुत्र (पौत्र), अपने पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) होने की स्थिति में आवश्यक रूप से धारण करना अनिवार्य है।*
5. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र के पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम–2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है। इस आधार पर किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू की पुत्री भी जन्म से ही अधिकार निहित रखती है।*

23. हिन्दू विधि में सहदायिकी संपति में पैतृक संपति एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति में समाहित पृथक संपति सम्मिलित होती है। पैतृक संपति एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति में समाहित पृथक संपति के मिलन से उत्पन्न सहदायिकी संपति को निम्न चित्र के माध्यम से समझा जा सकता हैः—

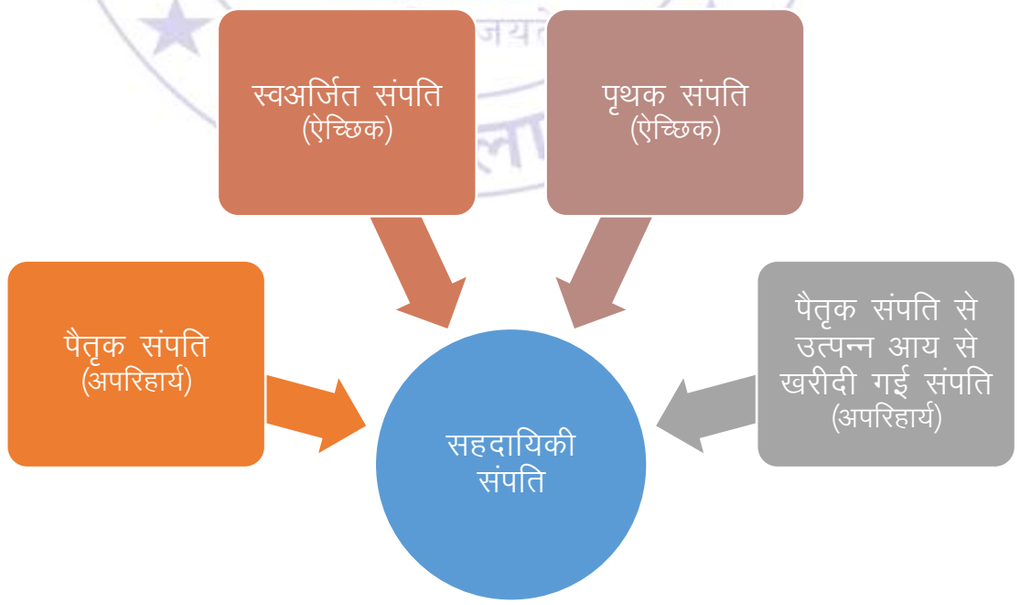

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

24. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि सहदायिकी संपति में पैतृक आराजी, हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की स्वअर्जित संपति, हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की पृथक संपति एवं पैतृक संपति से उत्पन्न आय से हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा क्रय की गई संपति शामिल होती है। सहदायिकी संपति की वृहत संकल्पना के निम्न अवयव होते हैः—

    1. *सहदायिकी या हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी अनिवार्य रूप से सहदायक संपति में निहित रहती है।*
    2. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की स्वअर्जित संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित किये जाने पर सदस्य विशेष की स्वअर्जित संपति सहदायक संपति में समाहित हो जाती है।*
    3. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य को अन्य स्रोत यथा—वसीयत, दान व पैतृक आराजी के अतिरिक्त विरासत से प्राप्त संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित किये जाने पर सदस्य विशेष की पृथक संपति सहदायक संपति में समाहित हो जाती है।*
    4. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति से उत्पन्न आय से खरीद की गई संपति आवश्यक रूप से सहदायिकी संपति में समाहित होती है।*
    5. *हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति को नुकसान पहुचाते हुए किसी सदस्य द्वारा खरीद की गई संपति अनिवार्य रूप से सहदायिकी संपति में समाहित होती है।*

25. प्रकरण में वादीगण का अभिकथन है कि उक्त मुतनाजा आराजी पैतृक आराजी है। इसके खंडन में प्रतिवादी का अभिकथन है कि वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा रामचन्द्र पुत्र जीयाराम ने दिनांक 12.06.2023 को श्रीमती जसोदा देवी पत्नी ईशराराम से जरिए पंजीकृत बयनामा खरीद किए जाने के कारण रामचन्द्र पुत्र जीयाराम की स्वअंर्जित आराजी है। इस संबंध में प्रदर्श—डी—07, हकतर्कनामा दिनांक 12.06.2023 समर्थन में प्रस्तुत किया है। प्रकरण में प्रदर्श—डी—07, हकतर्कनामा दिनांक 12.06.2023 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जीयाराम के एक पुत्र रामचन्द्र व एक पुत्री जसोदा देवी विधिक वारिस थे। जीयाराम के फौत होने पर जसोदा देवी पुत्री जीयाराम ने अपने सगे भाई रामचन्द्र पुत्र जीयाराम के पक्ष में दिनांक 12.06.2023 को पंजीकृत हकतर्कनामा करते हुए अपना हक त्याग दिया। हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी सहदायक द्वारा अपने हिस्से का हकत्याग किए जाने पर अन्य सहदायक को हकत्याग से प्राप्त संपति उस सहदायक की पृथक संपति नहीं मानी जाकर सहदायिकी का भाग मानी जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार किसी सहदायक का अपने हिस्से का हकत्याग किए जाने से अन्य सहदायकों को समान रूप से संपति प्राप्त होकर सभी का हिस्से में समान रूप से वृद्धि होती है। इस प्रकार जसोदा देवी द्वारा अपने भाई के पक्ष में हकत्याग करने से प्राप्त संपति रामचन्द्र की पृथक संपति नहीं होकर सहदायक संपति है। इस प्रकार तनकी संख्या 05 वादीगण साबित करने में सफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 05 वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

26. प्रकरण में वादी द्वारा मुतनाजा आराजी पर वादी व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के प्रावधानों के तहत मुताबिक कानूनी हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र के पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है। इस आधार पर वादीगण का प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक आराजी में जन्म से ही हक व अधिकार सृजित होकर निहित है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—6 के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की संतान होने तथा प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर वादीगण के 1/7—1/7 हिस्से का हक रखते हैं। इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादीगण साबित करने में सफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

27. प्रकरण में तनकी संख्या 01, 05 का एक साथ विश्लेषण किया जाना अब प्रथम तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैं:—

> 2. आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत विधिक वारिश होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार बेचान के पंजीकृत दस्तावेज को वादीगण के हक हिस्से तक आरंभ से ही शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है।
>
> .....*वादीगण*
>
> 6. आया मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित संपत्ति होने के कारण अंतरण का वैध व पूर्ण हक निहित होने के कारण प्रतिवादी संख्या 02 को किये गये बेचान का वैध होने के आधार पर दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।
>
> .....प्रतिवादी

28. प्रकरण में तनकी संख्या 02, 06 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत विधिक वारिश होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार बेचान के पंजीकृत दस्तावेज को वादीगण के हक हिस्से तक आरंभ से ही शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने से संबंधित है। इस संबंध में वादी का अभिकथन है कि प्रतिवादी संख्या 01 को मुतनाजा आराजी के पैतृक होने तथा वादीगण का जन्म से ही हक निहित होने के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

कारण अपने 1/7 हिस्से से अधिक आराजी को बेचने का कोई अधिकार नहीं होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में किया गया बेचान आरंभ से ही शून्य, अवैध व निष्प्रभावी है। इस संबंध में प्रतिवादी का अभिकथन है कि प्रतिवादी संख्या 01 को अपने परिवार के आवश्यक खर्चे के लिए उक्त आराजी को बेचने का कानूनी अधिकार है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने परिवार के खर्चे के लिए उक्त आराजी का प्रतिवादी संख्या 02 को बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है। इस कारण वादीगण को उक्त बेचान को निरस्त कराने का कोई अधिकार नहीं है।

29. प्रकरण में वादीगण के पिता रामचन्द्र द्वारा पैतृक आराजी का बेचान किया गया है। इस संदर्भ में सबसे पहले हिन्दू परिवार के कर्ता की संकल्पना के बारे में समझना आवश्यक है। इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिंद्धांत है कि हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून की स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की गई हैः—

    1. *अगर पिता जीवित है तो पिता हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
    2. *अगर पिता जीवित नहीं है तो परिवार का वरिष्ठ सदस्य हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
    3. *एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी—छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। इन लघुतर हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई के पृथक—पृथक कर्ता हो सकते है।*
    4. *हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता पर अन्य सदस्यों से विशिष्ट स्थिति रखता है। हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता को संयुक्त परिवार के सदस्यों से सलाह मशविरा कर संयुक्त परिवार के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है।*

30. प्रकरण में वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 रामचन्द्र के पुत्र, पुत्रियां व पत्नी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिन्दू संयुक्त परिवार का मुखिया रामचन्द्र प्रतिवादी संख्या 01 ही है। इस संबंध में वादी का कोई खंडन नहीं है।

31. प्रकरण में वादीगण के पिता रामचन्द्र द्वारा पैतृक आराजी का बेचान किया गया है। इस संदर्भ में सबसे पहले हिन्दू परिवार के कर्ता की भूमिका की संकल्पना के बारे में समझना आवश्यक है। इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिंद्धांत है कि हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के संबंध में न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

    1. *हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों के अतिरिक्त हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

की सहमति के सहदायिकी संपति का अंतरण नहीं कर सकता है।

2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः—*
    - *आपातकालेः— विधिक आवश्यकतार्थ।*
    - *कुटुम्बार्थेः— परिवार के हितार्थ।*
    - *धर्मार्थेः— पवित्र उद्देश्य हेतु।*
3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत किये गए अंतरण से सभी सहदायक बाध्य होते है।*

32. इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना / अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—
    1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति का अंतरण कर सकता है।*
    2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।*
    3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता की अनुपस्थिति में संयुक्त हिन्दू परिवार के मुखिया / संरक्षक द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।*

33. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया / कर्ता की भूमिका, प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना / अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना / अवधारणा को समझना आवश्यक है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित असंख्य न्यायिक दृष्टांतों के द्वारा सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना / अवधारणा की व्याख्या की गई है। इस श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांतों द्वारा की गई विवेचना का

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

उद्धरण प्रकरण में प्रासंगिक है। इस संबध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ***CS (OS) 1789/2014*** बउनवान ***Suraj Bhan Bansal vs Rakesh Bansal*** में दिनांक 12.03.2019 को दिये गये निर्णय में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना / अवधारणा के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> *21. Property belonging to a HUF can only be sold or altered by the karta, for the benefit of the family, a pious obligation, or in distress. Mayne's Treatise on Hindu Law and Usage1 opines as under:*
>
> *Dr. Virender Kumar (Ed), Mayne's Treatise on Hindu Law and Usage, 17th Edn., 2017 (Bharat Law House, New Delhi), at page 964.*
>
> *"**384. Mitakshara text discussed.** - The power of a managing member to make an alienation is confined according to the Mitakshara to three purposes: (1) in the time of distress (apatkale); (2) for the sake or benefit of the family (kutumbarthe); and (3) for pious purposes (dharmarthe). The meaning of the terms if explained by the Mitakshara: "Time of distress" refers to a distress which affects the whole family; „for the sake of the family" means „for its maintenance; and „pious purposes" are described as indispensable acts of duty such as the obsequies of the ancestors".*

34. इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना / अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

    1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः—*
        - *आपातकालेः— विधिक आवश्यकतार्थ।*
        - *कुटुम्बार्थेः— परिवार के हितार्थ।*
        - *धर्मार्थेः— पवित्र उद्देश्य हेतु।*

35. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3264 / 2011 बउनवान ***Kehar Singh (D) Thr. Lrs. vs Nachittar Kaur*** में दिनांक 20.08.2018 को दिये गये निर्णय में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना / अवधारणा के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> *22) Mulla in his classic work "Hindu Law" while dealing with the right of a father to alienate any ancestral property said in Article 254, which reads as under:*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

"Article 254
254. Alienation by father *– A Hindu father as such has special powers of alienating coparcenary property, which no other coparcener has. In the exercise of these powers he may:*

(1) make a gift of ancestral movable property to the extent mentioned in Article 223, and even of ancestral immovable property to the extent mentioned in Article 224;

(2) sell or mortgage ancestral property, whether movable or immovable, including the interest of his sons, grandsons and great-grandsons therein, for the payment of his own debt, provided the debt was an antecedent debt, and was not incurred for immoral or illegal purposes (Article294)."

23) What is legal necessity was also succinctly said by Mulla in Article 241, which reads as under:

"Article 241
241. What is legal necessity*- The following have been held to be family necessities within the meaning of Article 240:*

(a) payment of government revenue and of debts which are payable out of the family property;
(b) Maintenance of coparceners and of the members of their families;
(c) Marriage expenses of male coparceners, and of the daughters of coparceners;
(d) Performance of the necessary funeral or family ceremonies;
(e) Costs of necessary litigation in recovering or preserving the estate;
(f) Costs of defending the head of the joint family or any other member against a serious criminal charge;
(g) Payment of debts incurred for family business or other necessary purpose. In the case of a manager other than a father, it is not enough to show merely that the debt is a pre-existing debt;

The above are not the only indices for concluding as to whether the alienation was indeed for legal necessity, nor can the enumeration of criterion for establishing legal necessity be copious or even predictable. It must therefore depend on the facts of each case. When, therefore, property is sold in order to fulfil tax obligations incurred by a family business, such

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

alienation can be classified as constituting legal necessity." (see Hindu Law by Mulla "22nd Edition")

xxx

26) It has come in evidence that firstly, the family owed two debts and secondly, the family also needed money to make improvement in agriculture land belonging to the family. Pritam Singh, being a Karta of the family, had every right to sell the suit land belonging to family to discharge the debt liability and spend some money to make improvement in agriculture land for the maintenance of his family. These facts were also mentioned in the sale deed.

36. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1737 / 2021 बउनवान ***Beereddy Dasareatharami Reddy vs V. Manjunath*** में दिनांक 13.12.2021 को दिये गये निर्णय में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना / अवधारणा के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

6. Right of the Karta to execute agreement to sell or sale deed of a joint Hindu family property is settled and is beyond cavil vide several judgments of this Court including Sri Narayan Bal and Others v. Sridhar Sutar and Others,2 wherein it has been held that a joint Hindu family is capable of acting through its Karta or adult member of the family in management of the joint Hindu family property. A coparcener who has right to claim a share in the joint Hindu family estate cannot seek injunction against the Karta restraining him from dealing with or entering into a transaction from sale of the joint Hindu family property, albeit post alienation has a right to challenge the alienation if the same is not for legal necessity or for betterment of the estate. Where a Karta has alienated a joint Hindu family property for value either for legal necessity or benefit of the estate it would bind the interest of all undivided members of the family even when they are minors or widows. There are no specific grounds that establish the existence of legal necessity and the existence of legal necessity depends upon facts of each case. The Karta enjoys wide discretion in his decision over existence of legal necessity and as to in what way such necessity can be fulfilled. The exercise of powers given the rights of the Karta on fulfilling the requirement of legal necessity or betterment of the estate is valid and binding on other coparceners.

xxx

9. On the question of satisfaction of the condition of legal necessity, the stand of the respondents is contradictory, for they have pleaded in the written statement and even before us that the joint Hindu family was in need of funds, which shows legal necessity. In fact, as recorded above, the need

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

for funds is duly reflected and so stated in the agreement to sell dated 8 th December 2006 which states that the executants were in need of funds to meet domestic necessities and, therefore, had agreed to sell the suit property. It is also an undisputed position that the suit property was encumbered in favour of the State Bank of Mysore, Adivala Branch, and the executants had informed that the dues of the bank would be cleared to release the mortgage before the date of registration. In Kehar Singh (supra), on the question what is legal necessity, reference was made to Article 241 from Mulla's Hindu Law which states that maintenance of coparceners, family members, marriage expenses, performance of necessary funerals or family ceremonies, costs of necessary litigation for recovering or preserving estate, etc. fall and have been held to be family's necessities. Further, the instances are not the only indices for concluding whether the alienation was in need for legal necessity as enumeration on what would be legal necessity is unpredictable and would depend upon facts of each case. Thus, we are of the opinion that the agreement to sell cannot be set aside on the ground of absence of legal necessity.

37. इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना / अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण कर सकता है।*
2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता का आचरण विवेकपूर्ण पुरूष के समान होना आवश्यक है।*
4. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु अंतरण एवं संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का युक्तियुक्त होना आवश्यक है।*

Legal Necessity: Onus on Alinee

38. प्रकरण सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना / अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व के बारे में समझना

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित असंख्य न्यायिक दृष्टांतों के द्वारा सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व के बारे में व्याख्या की गई है। इस श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांतों द्वारा की गई विवेचना का उद्धरण प्रकरण में प्रासंगिक है। इस संबध में माननीय माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ***2004 (4) ALD 745*** बउनवान ***Chanumuri Subhaveni And Ors. vs Sappa Srinivasa Rao*** में दिनांक 25.03.2004 को दिये गये निर्णय में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व के बारे में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> *In the decision referred in B. Ranga Rao (died) v. G. Venkata Krishna Rao, (supra), the Division Bench of this Court while dealing with a similar question at para-10 held :*
>
> *"The Manager of Joint Hindu family governed by Mitakshara Law is called its 'Karta'. The manager has got power over the income and expenditure of the joint family. He may alienate the joint family properties for legal necessity or for the benefit of the estate. He has got power to contract debts for maintenance of the members of the joint Hindu family, for marriage expenses or coparceners and for defending the head or any other member of the family in suits or other proceedings. The karta of a joint Hindu family cannot dispose of the joint family property or any portion thereof, except for legal necessity or for the benefit of the estate. In the said cases only, the alienations bind the other coparceners of the joint family. It is settled law that where an alienation is made by the karta of a joint Hindu family for a legal necessity or for the benefit of the estate, the consent of minor coparcener is not required."*
>
> *The Division Bench further held at para 29 as hereunder:*
>
> *"The karta of a Hindu joint family has got the power to alienate the joint family property only for legal necessity or for the benefit of the family. Where the joint family is sold for legal necessity or for the benefit of the family, the degree of prudence which is required for the Kartha of the joint family, who is not the sole owner of the property is greater than that of the owner, and like a trustee. When the sale is only for legal necessity, the burden on the alienee is to show that the sale itself was justified by legal necessity and he is under no obligation to enquire into application of sale amount in detail by the Kartha as alienee has no control over hint Where the sale of joint*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

family property is for the benefit of the family, the alienee has to take reasonable care to find out whether the sale in fact, was for the benefit of the family on the date of transaction, which includes to find out that the sale was for the purchase of other property of better investment; that the sale consideration was actually utilized for the purpose of purchasing other lands for the benefits of the family."

39. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *AIR 1996 SUPREME COURT 2127* बउनवान ***Gangadharan vs Janardhana Mallan*** में दिनांक 10.05.1996 को दिये गये निर्णय में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व के बारे में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

This question does not appear to be res integra any more as it is settled by a number of judgments rendered by Privy Council and approved by this Court. In Krishna Das & Ors. Vs. Nathu Ram & Anr (AIR 1927 PC 37) (supra) (supra) after referring to earlier case in Hunooman Persaud Panday vs. Musamat Babooee (6 MIA 393), the Court held that where the purchaser acts in good faith and after due enquiry and is able to show that the sale itself was justified by legal necessity. he is under no obligation to enquire into the application of any surplus and is, therefore, not bound to make repayment of such surplus to the members of the family challenging the sale. This judgment was referred to with approval in Ram Sunder Lal & Another's case (supra) where the ratio was laid down in more clear terms. It was held that where the sale of family property by the father was effected for adequate consideration after due enquiry made by or on behalf of vendee as to the legal necessity and legal necessity was proved by vendee to the extent of Rs. 1,744/-at least out of a total price of Rs. 10.767/-, then the mere fact that the vendee after a long interval of time (14 years) was not able to prove conclusively how the surplus was applied by the father is not sufficient ground for setting aside the sale. Again the Privy Council in Ram Krishna Muraji vs. Ratan Chand & Anr. AIR 1(931 PC 136) after referring to the earlier pronouncements quoted with approval a passage from 6 MIA 393(supra) and observed as follows :-

"Their Lordships think that the lender is bound to enquire into the necessities for the loan, and to satisfy himself as well as he can, with reference to the parties with whom he is dealing, that the manager is acting in the particular instance for the benefit of the estate. But they think that if he does so enquire, and acts honestly, the real existence of

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

an alleged sufficient and reasonably-credited necessity is not a condition precedent to the validity of his charge, and they do not think that, under such circumstance she is bound to see to the application of the money. It is obvious that money to be secured on any estate is likely to be obtained on easier terms than a loan which rests on mere personal security, and that therefore the mere creation of charge securing a proper debt cannot be viewed as improvident management the purposes for which a loan is wanted are often future, as respects the actual application, and a lender can rarely have, unless he enters on the management, the means of controlling and rightly directing the actual application. Their Lordships do not think that a bona fide creditor should suffer when he has acted honestly and with due caution, but is himself deceived".(Emphasis supplied) Now coming to the decision of this Court in Radhakrishna Das and Anr. vs. Kaluram (1963 (1) SCR 648), this Court after referring to the Privy Council decision observed as follows:

"It is well established by the decisions of the Courts in India and the Privy Council that what the alienee is required to establish is legal necessity for the transaction and that it is not necessary for him to show that every bit of the consideration which he advanced was actually applied for meeting family necessity. In this connection, we may refer to two decisions of the Privy Council. One is Sri Krishan Das Vs. Nathu Ram. In that case the consideration for the alienation was Rs. 35,000/-. The alienee was able to prove that there was legal necessity only to the extent of Rs. 3,000/- and not for the balance. The High Court held that the alienation could be set aside upon the plaintiff's paying Rs. 3,000/- to the alienee. But the Privy Council reversed the decision of the High Court observing that the High Court had completely misapprehended the principle of law applicable to a case of this kind. What the alienee has to establish is the necessity for the transaction. If he establishes that then he cannot be expected to establish how the consideration furnished by him was applied by the alienor. The reason for this, as has been stated by the Privy Council in some other cases, is that the alienee can rarely have the means of controlling and directing the actual application of the money paid or advanced by him unless he enters into the management himself. This decision was followed by the Privy Council in Niamat Rai vs. Din Dayal where at p. 602 and 603 it has observed: "It appears from the judgment of the learned Judges of the High Court that if they had been satisfied that the whole of the Rs. 38,400 Paid out of the sale proceeds was paid in discharge of debts incurred before the negotiation of sale, they would have been of opinion that the sale ought to have been

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

upheld. With this conclusion their Lordships agree, but they are of opinion that undue importance was attached by the learned Judges to the question whether some of the payments made in discharge of debts incurred in the interval between the negotiation of the sale and the execution of the sale deed. Even if there had been no joint family business, proof that the property had been sold for Rs. 43,500 to satisfy pre-existing debts to the amount of Rs. 38,000 would have been enough to support the sale without showing how the balance had been applied, as held by their Lordships in the recent case of Krishan Das vs. Nathu Ram." Both these decisions state the correct legal position, Mr. Sinha's argument must, therefore, be rejected."

xxx

The purchasers have done their best to prove the legal necessity and substantial portion of the sale consideration went into the discharge of the antecedent debts. The First Appellate Court has given a clear finding on this. Having regard to the long lapse of time when the suit was instituted, challenging the alienation, nothing more could be expected from the purchasers to prove the legal necessity and the application of sale consideration.

40. इस संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3264 / 2011 बउनवान ***Kehar Singh (D) Thr. Lrs. vs Nachittar Kaur*** में दिनांक 20.08.2018 को दिये गये निर्णय में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व के बारे में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

27) In our considered opinion, a case of legal necessity for sale of ancestral property by the Karta (Pritam Singh) was, therefore, made out on facts. In other words, the defendants were able to discharge the burden that lay on them to prove the existence of legal necessity for sale of suit land to defendant Nos. 2 and 3. The defendants thus satisfied the test laid down in Hindu law as explained by Mulla in Article 254 (2) read with Article 241 (a) and (g) quoted above.

28) Once the factum of existence of legal necessity stood proved, then, in our view, no co-coparcener (son) has a right to challenge the sale made by the Karta of his family. The plaintiff being a son was one of the co-coparceners along with his father-Pritam Singh. He had no right to challenge such sale in the light of findings of legal necessity being recorded against him. It was more so when the plaintiff failed to prove by any evidence that there was no legal necessity for sale of the suit land or that the evidence

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

adduced by the defendants to prove the factum of existence of legal necessity was either insufficient or irrelevant or no evidence at all.

41. इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व की संकल्पना / अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की उत्पन्न परिस्थितियां के बारे में क्रेता को अंतरण से पूर्व वास्तविक रूप से जानकारी करने का विधिक दायित्व होता है।*
3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने को साबित करने का विधिक भार / दायित्व क्रेता के उपर होता है।*
4. *सहदायिकी संपति को पूर्ववर्ती ऋण हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*
5. *सहदायिकी संपति को परिवार या सहदायिकी संपति के लाभ या निवेश हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*

Legal Necessity: Recitals in Sale Deed

42. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया / कर्ता की भूमिका, प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना / अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में बयनामा में उल्लेखित कथनों की प्रासंगिकता की संकल्पना / अवधारणा को समझना आवश्यक है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित असंख्य न्यायिक दृष्टांतों के द्वारा सहदायक द्वारा सहदायिकी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में बयनामा में उल्लेखित कथनों की प्रासंगिकता की संकल्पना/अवधारणा की व्याख्या की गई है। इस श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांतों द्वारा की गई विवेचना का उद्धरण प्रकरण में प्रासंगिक है। इस संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1943/1966 बउनवान ***Rani & Anr vs Santa Bala Debnath*** में दिनांक 14.10.1970 को दिये गये निर्णय में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में बयनामा में उल्लेखित कथनों की प्रासंगिकता की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> *Legal necessity to support the sale must however be established by the alienees. Sarala owned the land in dispute as a limited ,owner. She was competent to dispose of the whole estate in the property for legal necessity or benefit to the estate. In adjusting whether the sale conveys the whole estate, the actual pressure on the estate, the danger to be averted, and the benefit to be conferred upon the estate in the particular insistance must be consi-dered. Legal necessity does not mean actual compulsion : it means pressure upon the estate which in law may be regarded as serious and sufficient. The onus of providing legal necessity may be discharged by the alienee by proof of actual necessity or by proof that he made proper and bona fide enquires about the existence of the necessity and that he did all that was reasonable to satisfy himself as to the existence of the necessity.*
>
> *Recitals in a deed of legal necessity do not by themselves prove legal necessity. The recitals are, however, admissible in ;evidence, their value varying according to the circumstances in which the transaction was entered into. The recitals may be used to corroborate other evidence of the existence of legal necessity. The, weight to be attached to the recitals varies according to the circumstances. Where the evidence which could be brought before the Court and is within the special knowledge of the person who seeks to set aside the sale is withheld, such evidence being normally not available to the alienee, the recitals go to his aid with greater force, and the Court may be justified in appropriate cases in raising an inference against the party seeking to set aside the sale on the ground of absence of legal necessity wholly or partially when he withholds evidence in his possession.*
>
> *xxx*
>
> *The recitals in the deed about the existence of pressure upon the estate are therefore amply corroborated by the circumstances.*

43. इस संबध में माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ***2004 (4) ALD 745*** बउनवान ***Chanumuri Subhaveni And Ors. vs Sappa Srinivasa Rao*** में दिनांक 25.03.2004 को

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

दिये गये निर्णय में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में बयनामा में उल्लेखित कथनों की प्रासंगिकता की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> *In the decision referred in Gopabandhu Das. v. Maheswar Mundian, (supra), the Orissa High Court while dealing with the recitals in a document and the aspect of legal necessity held:*
>
> *"The Manager of a joint Hindu family has power to alienate for value the joint family property so as to bind the interest both of minor and adult coparceners in the property, provided the alienation is made for legal necessity or benefit of the estate. In the case of a Hindu father, however, he has some special power to alienate coparcenery property which no other coparcener has. It is settled law that where the alienation of joint family property is not approved by the sons, the burden is -on the alienee to establish that the same was supported by legal necessity or benefit of the family or that he made reasonable enquiry about existence of such necessity (See Kumaraswami Mudaliar v. Rajamanikkam Udayar, and Radhakrishna Das v. Kaluram, . In the case in hand as appears from the recitals in the sale deeds (Exts.3 and 4), the necessities for which the suit lands were alienated were for purchase of seeds and for repayment of co-operative loan. In order to prove such necessities, no evidence worth the name was adduced by the plaintiff to discharge the burden. It needs no mention that the recitals about legal necessity in a deed of sale are not sufficient to discharge the burden that lies upon the alienee."*
>
> *In the decision referred in Hemraj v. Nathu, (supra), a Full Bench of Bombay High Court while dealing with sale of immovable property by mother as guardian of a minor, held:*
>
> *"The question whether a transaction is for the benefit of an estate or not involves the consideration of something more than merely whether the purchase price paid is a good price; it involves the further question of what is to be done with the purchase money. To sell a piece of land at a very good price would not be beneficial if the purchase money was to be invested in an insolvent business. A manager of a minor under Hindu Law is not entitled to sell merely for the purpose of enhancing the value of the property of the minor, or for increasing the minor's income, but it cannot be said that no transaction can be for the benefit of the minor which is not of a character to protect or preserve property of the minor. Where there was nothing to justify the sale except the fact that the price*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

obtained was greater than that which would normally be obtained interest market and there was no satisfactory evidence as to the manner in which the purchase-money was to be dealt with, the sale of that character and for that purpose was not justified."

In the decision referred in Kumaraswami v. Rajamanikkam, (supra), a Special Bench of Kerala High Court while dealing with alienation of property by father which had been impugned by his sons, held that the burden of proof that it was supported by legal necessity is on the buyer. It was also further held:

"Where alienation of the family property is impugned, the burden is on the buyer to establish that sale was supported by legal necessity or benefit of the family, or that the alienee had made bona fide and reasonable enquiries which made him believe that the necessity existed even though no such necessity did in fact exist."

xxx

Now it is beyond controversy that on the material available on record there was sufficient ancestral nucleus and the other subsequent acquisitions in such a case may have to be taken as joint family properties only. Much reliance was placed on the recitals and when the recitals are being questioned by attacking the very transactions, much importance cannot be attached to such recitals which would be self- serving recitals.

44. इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण हेतु पंजीकृत दस्तावेज में किए गए अभिकथनों की अंतरण हेतु विधिक आवश्यकता स्थापित करने हेतु प्रांसगिकता संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *पंजीकृत दस्तावेज में किए गए विधिक आवश्यकता हेतु अभिकथनों पर पूर्णतः निर्भर/आधारित नही माना जा सकता है।*
2. *पंजीकृत दस्तावेज में किए गए विधिक आवश्यकता हेतु अभिकथन वास्तव में क्रेता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य या अन्य साक्ष्य व परिस्थितियों से समर्थित होने आवश्यक है।*

45. इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है। हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा *आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ* अंतरण कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

सकता है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के सहदायिकी संपति के प्रबंधन / अंतरण के पश्चात ही कर्ता द्वारा अंतरण के विरूद्ध अन्य सहदायक को कर्ता द्वारा अंतरण को विधिक आवश्यकता नहीं होने के आधार पर अंतरण किए जाने के आधार पर ही कर्ता द्वारा किए गए अंतरण को निष्फल करवाने का विकल्प / उपचार उपलब्ध है।

46. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपनी आराजी का बेचान प्रदर्श–डी09 पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.09.2023 को प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में किया है। उक्त प्रदर्श–डी09 पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.09.2023 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने घर कार्य हेतु रूपयों की जरूरत होने की वजह से संपति का बेचान किया है।

47. हिन्दू विधि की उक्त स्पष्ट स्थिति के आलोक में प्रकरण में उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी का प्रदर्श–डी09 पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.09.2023 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 को किया गया अंतरण अपने हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में निष्पादित किया गया है। अब प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी का प्रदर्श–डी09 पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.09.2023 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 को किया गया अंतरण का विधिक आवश्यकता के आधार पर निष्पादित किये जाने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने को साबित करने का विधिक भार / दायित्व क्रेता के उपर होता है। इस प्रकार इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा मुतनाजा आराजी का प्रदर्श–डी09 पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.09.2023 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 को किया गया अंतरण का विधिक आवश्यकता निहित होने को स्पष्ट करने का भार प्रतिवादी संख्या 02 के उपर है।

48. इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की उत्पन्न परिस्थितियां के बारे में क्रेता को अंतरण से पूर्व वास्तविक रूप से जानकारी करने का विधिक दायित्व होता है। इस संबंध में प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व गवाह प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में सर्वप्रथम प्रदर्श–डी09 पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.09.2023 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में प्रदर्श–डी09 पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.09.2023 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रदर्श–डी09 पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.09.2023 में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपनी संपति का बेचान परिवार की आवश्यकताओं के लिए किया जाना अभिकथित किया हैं। इस प्रकार बेचान पत्र में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अभिकथित अभिवचनों के आधार पर प्रथमदृष्टया मुतनाजा संपति का बेचान परिवार की आवश्यकताओ के लिए विधिक आवश्यकता के आधार पर किया जाना प्रतीत होता है। इस आधार पर न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रकरण में पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.09.2023 को आरंभ से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

शून्य, अवैध व निष्प्रभावी पाया जाना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार तनकी संख्या 02 प्रतिवादीगण के पक्ष में तथा तनकी संख्या 06 भी प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

49. प्रकरण में अब तनकी संख्या 03 व 04 के एक समान होने के कारण एक साथ विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 03 व 04 निम्न प्रकार है–

> 3. आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत विधिक वारिश होने के आधार पर मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के आधार पर विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक वादपत्र वर्णित अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
>
> .....वादी
>
> 4. आया दावा वादीगण का खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष पोषणीय नहीं होने तथा आराजी पर प्रतिवादी का सालिम कब्जा होने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण नहीं बनने के कारण काबिल–ए–खारिज है।
>
> .....प्रतिवादी

50. प्रकरण में तनकी संख्या 03 व 04 स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

51. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 के अनुसार मुतनाजा आराजी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा के स्वीकार होने पर परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए दखलअंदाजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

52. प्रकरण में न्यायालय अपने विनम्र मत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—6 के तहत वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 की संतान होने तथा प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर वादीगण मुतनाजा आराजी पर प्रत्येक 1/7—1/7 हिस्से का हक निहित होना पाता हैं। इस आधार पर प्रकरण में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—06 के तहत इस प्रकार वादीगण का रामचन्द्र की संपति में कानूनन हक निहित होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा को वादीगण के पक्ष में स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में न्यायालय अपने विनम्र मत में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.09.2023 को आरंभ से शून्य, अवैध व निष्प्रभावी नहीं पाने के कारण पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.09.2023 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा अपना सम्पूर्ण हक प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में अंतरित कर दिया है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी में से पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.09.2023 के द्वारा अंतरित व पृथक से विभाजित खसरा संख्या 720/718 पर प्रतिवादी संख्या 02 की खातेदारी कायम रखी जाती है। साथ ही मुतनाजा आराजी में से पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.09.2023 के द्वारा अंतरित व पृथक से विभाजित खसरा संख्या 720/718 के अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज अन्य खातेदारी आराजी पर वादीगण को प्रत्येक को 1/6—1/6 का खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इस आधार पर मुतनाजा आराजी में से पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.09.2023 के द्वारा अंतरित व पृथक से विभाजित खसरा संख्या 720/718

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

पर प्रतिवादी संख्या 02 की खातेदारी कायम रखते हुए प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज अन्य खातेदारी आराजी खसरा संख्या 266/3/2.1448 है0, 266/4/3.9659 है0, 721/718/3.8766 है0 मौजा नेहरों का बेरा तहसील नोखड़ा पर वादीगण को प्रत्येक को 1/6—1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 01 का नाम कलमजन कर राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाकर केवल वादीगण के खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 07.07.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2024 / 146 दर्ज तिथिः—06.05.2024

1. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र
2. बबिता पुत्री रामचन्द्र
3. गोगाराम पुत्र रामचन्द्र
4. जोगाराम पुत्र रामचन्द्र
5. मनीषा पुत्री रामचन्द्र
   वादी संख्या 01 से 05 नाबालिक जरिए कुदरती वली माता झमकुदेवी पत्नी रामचन्द्र।
6. झमकुदेवी पत्नी रामचन्द्र
   जाति जाट निवासी नेहरों का बेरा तहसील नौखड़ा।

.....वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र जीयाराम
2. ईमीयों देवी पत्नी दूदाराम
   जाति जाट निवासी नेहरों का बेरा तहसील नौखड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नौखड़ा।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री नारायण कुमावत
प्रतिवादीः— श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इस आधार पर मुतनाजा आराजी में से पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.09.2023 के द्वारा अंतरित व पृथक से विभाजित खसरा संख्या 720/718 पर प्रतिवादी संख्या 02 की खातेदारी कायम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

रखते हुए प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज अन्य खातेदारी आराजी खसरा संख्या 266/3/2.1448 है0, 266/4/3.9659 है0, 721/718/3.8766 है0 मौजा नेहरों का बेरा तहसील नोखड़ा पर वादीगण को प्रत्येक को 1/6—1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 01 का नाम कलमजन कर राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाकर केवल वादीगण के खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.07.12 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested